

कार्यालय, जिला पंचायत सूरजपुर (छ0ग0)

दूरभाष :- 07775-266152, 266424, 266158

E-mail :- drda.surajpur@gmail.com, apo.surajpur@gmail.com

-:: प्रेस विज्ञप्ति ::-

विज्ञप्ति क्रमांक :- ५३९१

दिनांक :- 24 / 09 / 2026

विषय :- विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM G) योजनांतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में।

-----0000-----

जिला सूरजपुर के विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन - ग्रामीण (VB-G RAM G) योजनांतर्गत जनपद स्तर पर स्वीकृत संविदा कार्यक्रम अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर एवं लेखापाल के रिक्त संविदा पदों की पूर्ति हेतु दिनांक :- 13/10/2026 तक ऑन-लाईन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइट www.surajpur.gov.in का अवलोकन कर आवेदन कर सकते हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत सूरजपुर (छ0ग0)

पृ0क्र0 / ५३९२ / VBGRAMG / स्था. / जि.प. / 2026-27 सूरजपुर, दिनांक - 24 / 09 / 2026
प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, विकसित भारत जी राम जी परिषद्, विकास भवन, तृतीय तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटलनगर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
02. आयुक्त, सरगुजा संभाग जिला सरगुजा अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
03. कलेक्टर महोदया, जिला-सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
04. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूरजपुर को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
05. जनसम्पर्क अधिकारी, जिला सूरजपुर को सूचनार्थ एवं 02 राज्य एवं स्थानीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु पालनार्थ।
06. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी VB G RAM G को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पटल पर विज्ञापन चस्पा करने हेतु पालनार्थ।
07. स्थापना/गार्डफाईल जिला पंचायत सूरजपुर को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत सूरजपुर (छ0ग0)

कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर
(विकसित-भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)
(VB-G RAM G)
जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / 4393 // विज्ञापन // / जि.पं. / स्थापना / भर्ती / वीबी-जी राम जी / 2026-27, सूरजपुर, दिनांक 24/09/2026

आयुक्त, विकसित भारत-जी राम जी, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक I/566646/2026/वि-7 / VB-G RAM G / स्था / नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06.08.2026 के द्वारा विकसित भारत-जी राम जी अंतर्गत जिला सूरजपुर अन्तर्गत जनपद पंचायत स्तर के रिक्त संविदा पदों पर भर्ती किये जाने के संबंध में अनुमति प्रदान किया गया है तथा आयुक्त, विकसित भारत-जी राम जी नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक I/608889/2026 वि-7 / स्था. / VB-G RAM G नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31.08.2026 के द्वारा विकसित भारत-जी राम जी अंतर्गत संविदा/मानदेय पदों के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं चयन हेतु मेरिट अंक संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है। उपरोक्त प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप संविदा रिक्त पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता व मेरिट अंक के निर्धारण के अनुक्रम पर जनपद पंचायत स्तर पर अधोलिखित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं के अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 13/10/2026 रात्रि 11:59 बजे तक निम्न नियम एवं शर्तों के अधीन आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं।

न अनिर्वात किय जात ह।

पद क्र.	पद का नाम एवं आरक्षण	(वेतन बैंड) एकमुश्त मासिक वेतन	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता	मेरिट हेतु अंक निर्धारण	
1	कार्यक्रम अधिकारी (संविदा) जनपद पंचायत स्तर	(वेतन बैंड – 9300–34800 लेवल 10, ग्रेड वेतन 4400) 39875 रु.	प्रथम श्रेणी – एम.बी.ए./बी.ई./MRTM (Master of Rural Technology and Management) गणित/भौतिक विषय में स्नातकोत्तर	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 100 अंकों का Weightage देते हुए	70 अंक
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	15 अंक
				शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :-	
				न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5 अंक
				5 वर्ष तक का अनुभव	10 अंक
				5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15 अंक
2	सहायक प्रोग्रामर (संविदा) जनपद पंचायत स्तर	(वेतन बैंड – 9300–34800 लेवल 09, ग्रेड वेतन 4300) 35165 रु.	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस. सी. (कम्प्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी)/एम.सी.ए. या समकक्ष उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक या समकक्ष उपाधि।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	45 अंक
				कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य) 100 अंकों का weightage देते हुए	40 अंक
				शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य का अनुभव :-	
				न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5 अंक
				5 वर्ष तक का अनुभव	10 अंक
				5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15 अंक
3	लेखापाल (संविदा) जनपद पंचायत स्तर	(वेतन बैंड – 5200–20200 लेवल 06, ग्रेड वेतन 2400) 23350 रु.	55 प्रतिशत में बी.कॉम. (अ.ज.जा. एवं अ.जा. हेतु 50 प्रतिशत में बी.कॉम.) (बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिए द्वितीय श्रेणी में बी.कॉम. उत्तीर्ण)	हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	20 अंक
				न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 100 अंकों का weightage देते हुए	50 अंक
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा	15 अंक
				शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव:-	
				न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5 अंक
				5 वर्ष तक का अनुभव	10 अंक
5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15 अंक				

नियम एवं शर्तें :-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 25/09/2026 को प्रातः 10.00 बजे से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं एवं दिनांक 13/10/2026 को रात्रि 11.59 बजे तक ही ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किये जावेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. ऑनलाईन आवेदन सूरजपुर जिले के वेबसाइट www.surajpur.gov.in/ पर ही किये जायेंगे।
3. ऑनलाईन आवेदन करते समय JPEG, PNG फॉर्मेट में स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा।
4. आवेदित पद के लिये आवेदन वेबसाइट में दिये गये आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार ही भरा जावेगा तथा स्व-प्रमाणित सभी शैक्षणिक/ अनुभव तथा अन्य अभिलेख/प्रमाण पत्र की प्रति पोर्टल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. रिक्त पदों के लिये पदवार अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिये वैध मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी अनिवार्य होगा।
6. ऑनलाईन आवेदन करते समय जानकारी सही-सही भरे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
7. चयन प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन जानकारी हेतु सतत रूप से जिला पंचायत कार्यालयीन सूचना पटल के साथ-साथ एनआईसी जिला सूरजपुर की वेबसाइट www.surajpur.gov.in का सतत अवलोकन करते रहे।
8. आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जायेगी।
9. कार्यक्रम अधिकारी/सहायक प्रोग्रामर के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी तथा लेखापाल हेतु सूरजपुर जिले का स्थानीय मूल निवासी होना अनिवार्य है। उक्त संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति ऑनलाईन संलग्न किया जाना होगा।
10. आरक्षित पदों में आवेदन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
11. आवेदन में आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज स्व-प्रमाणित फोटो एवं समस्त प्रमाण-पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त माना जावेगा।
12. संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर पद निरंतरता, कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि बढ़ायी जा सकती है।
13. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ.9-1-3 दिनांक-31 दिसम्बर, 2012 के संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
14. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
15. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
16. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन जमा/देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
17. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
18. समस्त नियुक्तियों सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ.13-1/2023 अ.प्र./ 1-3 नवा रायपुर दिनांक 03/05/2023 के पत्र में दिये गये निर्देशों के आधीन होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी(सी) क्रमांक 19688/2022 के अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
19. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा। तदुपरांत प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
20. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव होने पर ही अनुभव का अंक प्रदान किया जावेगा।
21. अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे एवं अनुभव प्रमाण पत्र में वेतनमान एवं कार्यरत शासकीय ग्रामीण विकास योजना का नाम का उल्लेख होना अनिवार्य है एवं वेतन पत्रक की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा।
22. शैक्षणिक योग्यता हेतु डिग्री/प्रोविजनल डिग्री/अंकसूची आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
23. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। अतः अंकसूची का पृष्ठ भाग भी सावधानी से फोटोकॉपी करते हुए स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।
24. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या रिक्तियों के विरुद्ध 10 गुणा से अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर चयन प्रक्रिया के अग्रिम चरण हेतु 01 पद के विरुद्ध वरीयता के आधार पर 10 आवेदकों को बुलाया जावेगा। 10 गुणा में पर्याप्त अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं तो चयन समिति के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दी जा सकेगी एवं इस सूची की वैधता 01 वर्ष होगी, जिसे प्रतीक्षा सूची में रखी जावेगी। भविष्य में पद रिक्त होने पर वरीयता क्रमानुसार प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।

25. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी।
26. शासकीय/गैर-शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
27. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा से अनुशासन हीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन/नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि इस संबंध में नियुक्ति होने के बाद संज्ञान में आता है, तो नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।
28. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
29. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
30. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामलों में शासनादेश एवं सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर ही छूट की मान्यता होगी।
31. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है। यह नियुक्ति जिला के लिए निर्धारित रोस्टर अनुसार की जावेगी।
32. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला पंचायत सूरजपुर (छ.ग.) के सूचना पटल एवं जिला सूरजपुर के वेबसाइट www.surajpur.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है।
33. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
34. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार कलेक्टर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) के पास सुरक्षित रहेगा।
35. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय/रिक्तियों की संख्या आदि संबंधी त्रुटियां सुधारी जा सकती है, जिसकी सूचना विधिवत् समाचार पत्र/वेबसाइट में प्रकाशित होगी।
36. आवेदन पत्र में किसी भी कंडिका की जानकारी नहीं भरे जाने अथवा अस्पष्ट होने एवं नियम/शर्तों की किसी भी कंडिका का पालन नहीं होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थी की उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

(कलेक्टर, महोदया द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत-सूरजपुर (छ.ग.)